संo— / ।।(2)—2019—04(15)/2018

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग—02 देहरादून, दिनांक, 31 अक्टूबर , 2019

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2019—20 में राज्य सैक्टर एस0सी0एस0पी0 नलकूप निर्माण) मद के अन्तर्गत योजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0—2555/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/ पी—27 (एस0सी0एस0पी0), दिनांक 15.07.2019 एवं पत्र सं0—3509/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/ पी—27 (एस0सी0एस0पी0), दिनांक 19.09.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर एस0सी0एस0पी0 (नलकूप निर्माण) मद के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की निम्नलिखित योजना की लागत के सापेक्ष विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत रू0 133.50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 में संगत मद में रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत योजना की लागत	वित्तीय वर्ष 2019—20 में आंवटित धनराशि
1	2	3	4
01	जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर में 02 संख्या राजकीय नलकूप के निर्माण की योजना।	133.50	40.00
	कुल योगः—	**133.50**	**40.00**

(रू0 चालीस लाख मात्र)

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

क्रमशः—2

(iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV—219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0—31.03.2020 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(viii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय—समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—254/3(150)—2017/XXVII (1)/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 में अनुदान संख्या—30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—04—नलकूपों का निर्माण—800—अनुसूचित जाति उपयोजना—02—अन्य रखरखाव व्यय—24—वृहत् निर्माण नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 331/XXVII(2)/2018 दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या— 1404 (1)/ I I(2)—2019—04(15)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी—1/105, इन्दिरानगर, दे0दून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून/नैनीताल।
5. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमशः—3

8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।